अपील नगरपालिका प्रकरण सं0 10/2018 (RCMS 2018/00139) लक्ष्मी देवी पत्नी श्री अजय कुमार जरिए विधिक प्रतिनिधिगण 1. अरूण कुमार पुत्र अजय कुमार 2. संदीप कुमार पुत्र अजय कुमार जाति सोनी निवासी वार्ड संख्या 4, नामदेव गुरूद्वारा रोड़, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. नगरपालिका, रायसिंहनगर जरिए अध्यक्ष 2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.07.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी लक्ष्मी के विधिक प्रतिनिधिगण अरूण कुमार, सदीप कुमार के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित है। वकील अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश करके प्रार्थना की कि उक्त प्रकरण सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार माननीय संभागीय आयुक्त में निहित है। इसलिए उक्त अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु सीपीसी के उपबन्धों के अधीन लौटाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील अन्तर्गत धारा 194(12) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर के आदेश 13.12.2017 एवं आदेश दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध पेश की है। उक्त प्रकरण एडमिशन के बिन्दु पर एवं कार्यालय के द्वारा बताई गई कमियों की पूर्ति हेतु नियत है।

चूंकि प्रार्थी वकील द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रकरण का सम्बन्धित सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटाया जावे। प्रार्थी के अभिभाषक के अनुसार उक्त प्रकरण का सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। इसलिए यह प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर